न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई.ए.एस)

<u>अपील संख्या 910/2023 (31/2021)</u>

1. रामदेव जाखड़ पुत्र ईश्वरराम
2. झूथाराम जाखड़ पुत्र ज्वाराराम

जाति जाट निवासीगण कारोई पोस्ट कैरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर

—:अपीलार्थी:—

बनाम

तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

उपस्थिति:—

1. वकील श्री महेन्द्र जाखड़ अपीलार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक:— 25.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा अपील अं0 धारा 75 भू राजरव अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के आदेश दिनांक 26.02.2021 पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है भूमि नये खसरा नं0 473 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सलेहदीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है। नये सेटलमेंट की कार्यवाही सम्वत 2040 से 2044 में हुई बरवक्त भू प्रबंध की कार्यवाही विवादित भूमि गैर मुमकिन आबादी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान तथा भू प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व से ही तथा वर्तमान में भी विवादित भूमि में प्रार्थीगण के मकानात बने हुए है। विवादित भूमि सदैव से ही आबादी भूमि रही है। विवादित भूमि में मौके पर कोई पहाड़ नही है नही टीबा है तथा नाही पूर्व में रिकार्ड में ऐसा कोई अंकन रहा है। इसके बावजूद भू प्रबंध विभाग द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान नया राजस्व रिकार्ड सृजित करते समय

संभागीय आयुक्त
सीकर

विवादित भूमि को किसी की साजिश अथवा भूलवश अवैध रूप से जमावंदी में कालम संख्या 4 में पर्वत व पहाडियां तथा कालम संख्या 7 में गै0 मु0 टीवा के रूप मे राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के नये खसरा नम्बर 473 गैर मुमकिन आवादी दुरूस्त किया जाने कृपा करे।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत

1- RBJ1996 PAGE 08 DB CIVIL WRITPETITION NO 1907 OF 1986
2- RRC, 2001 PAGE 39
3- RRD 1983 PAGE 64
4- RRD 1993 PAGE 44
5- RRC 1993 PAGE 647 पेश किये।

बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जंमाबदी सम्वत 2045–48, 2049–52, व जंमाबदी सम्वत 2074 –77 में नये खसरा नं0 473 में काश्तकार के कॉलम में पहाडी व पर्वत तथा किस्म गै0 मु0 टीबा का अंकन है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त भूमि कि किस्म गै0 मु0 आबादी थी। नकल मिलान से क्षेत्रफल से साबित है कि नये खसरा नं0 473 का पुराना खसरा नं0 267 है। जमाबंदी सम्वत 2029–32 व 2033–36 में विवादित भूमि की किस्म गै0 मु0 आबादी के रूप दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार खण्डेला से प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब मांगा गया। जिसमें तहसीलदार खण्डेला बिन्दूवार जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि भूमि खसरा नं0 473 में मौके पर दो मकान मय बरामदा व चारदिवारी निर्मित है। भू प्रंबध से पूर्व पुराने खसरा नं0 267 किस्म गै0 मु0 आबादी दर्ज थी। वर्तमान में खसरा नं0 473 किस्म गै0 मु0 टीबा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार खण्डेला के जवाब से तथा राजस्व रिकार्ड स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में किस्म गै0 मु0 आबादी के रूप में दर्ज थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 26.02.2021 पूर्णतया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 को निरस्त

संभागीय आयुक्त
सीकर

किया जाता है तथा भूमि खसरा नं0 473 राजस्व रिकार्ड में गै0 मू0 टीबा के स्थान पर गै0 मू0 आबादी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दूरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर